

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राकेश चंद्र झा एवं अन्य

बनाम

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं अन्य

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 5665/2013

08 अगस्त 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या याचिकाकर्ताओं की सहायक शिक्षक के रूप में सेवा समाप्ति से बिहार राज्य अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय (सेवा शर्तें) नियमावली, 2015 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है?
2. क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निजी तौर पर प्रबंधित, राज्य-सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंध समिति के विरुद्ध रिट याचिका विचारणीय है?

हेडनोट्स

1. रिट याचिका की स्वीकार्यता

(अनुच्छेद 15-29): न्यायालय ने माना कि 2015 के नियम (बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा 22 के अंतर्गत वैधानिक) प्रबंध समिति को रिट क्षेत्राधिकार के अधीन करते हैं, और उन उदाहरणों (चंद्र नाथ ठाकुर, 1999; त्रिगुण चंद्र ठाकुर, 2019) से अलग हैं जो गैर-वैधानिक समितियों के विरुद्ध रिट जारी करने पर रोक लगाते हैं।

2. प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन

(अनुच्छेद 30-35) एकपक्षीय जाँच रिपोर्ट (याचिकाकर्ताओं को तामील किए बिना या खंडन की अनुमति दिए बिना) के आधार पर बर्खास्तगी ने 2015 के नियमों के नियम 13 (1976 के नियमों के नियम 22-28 के समान) का उल्लंघन किया, जो निष्पक्ष सुनवाई का आदेश देते हैं।

3. 2015 के नियमों का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग

(अनुच्छेद 24-26) न्यायालय ने 2015 के नियमों के नियम 16 को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया, और 2011 की समाप्ति को वैधानिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों द्वारा शासित माना।

न्याय दृष्टान्त

1. चंद्र नाथ ठाकुर बनाम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (1999) 1 पीएलजेआर 529 - गैर-वैधानिक प्रबंध समितियों के विरुद्ध रिट को गैर-धारणीय माना।
2. त्रिगुण चंद ठाकुर बनाम बिहार राज्य (2019) 7 एससीसी 513 - पुष्टि की गई कि निजी तौर पर प्रबंधित विद्यालय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत "राज्य" नहीं हैं।
3. बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय नियम, 2015 - न्यायिक समीक्षा को कायम रखने के लिए वैधानिक नियमों का प्रयोग किया गया।

अधिनियमों की सूची

1. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981:
धारा 22 (नियम बनाने की शक्ति)
2. बिहार राज्य अशासकीय संस्कृत विद्यालय (सेवा शर्तें) नियमावली, 2015:
नियम 13 (सेवा समाप्ति की प्रक्रिया); नियम 16 (पूर्वव्यापी आवेदन)।

मुख्य शब्दों की सूची

नैसर्गिक न्याय (ऑडी अल्टरम पार्टम); नियमों का पूर्वव्यापी आवेदन; रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226); सांविधिक बनाम गैर-सांविधिक समितियाँ; एकपक्षीय जाँच

प्रकरण से उत्पन्न

सेवा समाप्ति आदेश: विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 09.01.2011 का पत्र संख्या 21(के); नियुक्ति चुनौती: निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति हेतु ज्ञापन संख्या 3275 दिनांक 10.05.2013।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री शरवन कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से: श्री सत्यम शिवम सुंदरम; श्री सिया राम शाही, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2013 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं-5665**

=====

1. राकेश चंद्र झा, पिता-श्री धीरेंद्र झा, निवासी- गांव-मोहनपुर, थाना-पिपराही, जिला-शिवहर
2. अजीत कुमार पाठक पिता-श्री सर्बकांत पाठक निवासी- गाँव-चोरौत, थाना-रूपरी, जिला-सीतामढ़ी

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना
2. सचिव के माध्यम से श्री लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च विद्यालय, पोस्ट व थाना- चोरौत, जिला-सीतामढ़ी
3. प्रधानाध्यापक, श्री लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च विद्यालय, पोस्ट व थाना-चोरौत, जिला-सीतामढ़ी
4. श्री संजीव कुमार मिश्रा, सहायक शिक्षक, श्री लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च विद्यालय, पोस्ट व थाना-चोरौत, जिला सीतामढ़ी।
5. श्री सुजीत कुमार सुमन, सहायक शिक्षक, श्री लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च विद्यालय, पोस्ट व थाना-चोरौत, जिला सीतामढ़ी।
6. सचिव के माध्यम से, प्रबंध समिति, श्री लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च विद्यालय पोस्ट व थाना-चोरौत, जिला-सीतामढ़ी।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए:

श्री शरवन कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता
श्री दिनेश महाराज

उत्तरदाता/ओं के लिए:

श्री सत्यम शिवम सुंदरम
श्री सिया राम शाही, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

सी.ए.वी. निर्णय

दिनांक : 08-08-2024

1. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए कि वे याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक के पद पर काम करने की अनुमति दें श्री लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च विद्यालय (जिसे आगे "विद्यालय" कहा जाएगा) के सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 21 (के) दिनांक 09.01.2011 को निरस्त करने के बाद, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं और प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को देय वेतन का भुगतान करने के लिए आगे निर्देश देने के लिए और ज्ञापन संख्या 3275 दिनांक 10.05.2013 को निरस्त करने के लिए जिसके द्वारा निजी प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था।

2. वर्तमान रिट आवेदन को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 28.10.2006 को प्रतिवादी/विद्यालय के सचिव द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें स्नातक सहायक शिक्षक के दो पदों और लिपिक के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रबंध समिति ने 14.11.2006 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ताओं को अस्थायी आधार पर संबंधित विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया और बाद में उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (जिसे आगे "संस्कृत बोर्ड" कहा जाएगा) को पत्र संख्या 15 दिनांक 14.11.2006 के माध्यम से अनुमोदन हेतु और स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेषित की।

3. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिसके बाद दोनों ने 17.11.2006 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद, संस्कृत बोर्ड ने ज्ञापन संख्या

1580 दिनांक 28.03.2007 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को अस्थायी आधार पर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

4. विद्यालय में स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त होने पर, 10.05.2007 को दैनिक समाचार पत्र "आज" में पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रतिवादी विद्यालय में सहायक अध्यापक के दो पदों और लिपिक के एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति ने अपने पत्र संख्या 5 दिनांक 22.05.2007 ने संस्कृत बोर्ड के सचिव को उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों के बारे में सूचित किया और उसमें 05.06.2007 को आयोजित होने वाली साक्षात्कार प्रक्रिया के अवलोकन हेतु एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का अनुरोध किया, जिसके बाद संस्कृत बोर्ड के सचिव ने अपने पत्र संख्या 4739 दिनांक 01.06.2007 के माध्यम से श्री रामेन्द्र साह, प्रधानाचार्य, कौशल्या संस्कृत उच्च विद्यालय, महुआ, वैशाली को साक्षात्कार प्रक्रिया के अवलोकन हेतु एक विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया।

5. तत्पश्चात, उक्त आवेदकों के चयन की प्रक्रिया 05.06.2007 को विशेषज्ञ की उपस्थिति में की गई और याचिकाकर्ताओं एवं अन्य के साक्षात्कार के पश्चात, चयन समिति ने सहायक अध्यापक के दो रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ताओं के नाम की अनुशंसा की। चयन समिति की अनुशंसा को प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और उनकी स्थायी नियुक्ति के लिए संस्कृत बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी-विद्यालय के सचिव ने पत्र संख्या 8 दिनांक 07.06.2007 द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा। संस्कृत बोर्ड के सचिव ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 5049 दिनांक 02.07.2007 द्वारा याचिकाकर्ताओं को 1400-2500/- रुपये के वेतनमान पर स्थायी आधार पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिन स्थानीय

राजनेताओं के बच्चों की नियुक्ति नहीं हुई, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को काम न करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कई अभ्यावेदन दायर किए।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया का विधिवत पालन वैध रूप से गठित प्रबंध समिति द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया था। चयन प्रक्रिया के दौरान श्री सर्वकांत पाठक (प्राचार्य) और श्री कमल किशोर पाठक को विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन प्रक्रिया छोड़ने के लिए कहा गया था और तदनुसार उन्होंने भाग नहीं लिया। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को संस्कृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और रिट आवेदन दायर करने की तारीख तक याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त नहीं किया गया था, न ही याचिकाकर्ताओं के स्थान पर कोई नियुक्ति की गई थी। स्थानीय राजनेताओं, जिनके बच्चों की नियुक्ति नहीं की गई थी, ने याचिकाकर्ताओं को काम नहीं करने के लिए मजबूर किया और याचिकाकर्ताओं का अधिकारियों से मिलने का प्रयास और उनका आश्वासन किसी भी सकारात्मक कार्रवाई में तब्दील नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में रिट याचिका एक प्रार्थना के साथ दायर की गई थी कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और यह भी निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ताओं को सहायक शिक्षक के रूप में उनके पदों पर काम करने की अनुमति दी जाए। 07.03.2013 को रिट आवेदन दाखिल करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को पता चला कि प्रतिवादी सं. 4 और 5 यथा श्री संजीव कुमार मिश्रा और श्री सुजीत कुमार सुमन को बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी रिक्ति के सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

7. याचिकाकर्ताओं ने अपनी नियुक्ति को चुनौती देते हुए 2013 का आई. ए. सं.6977 दायर किया और 20.06.2014 को प्रतिवादी सं. 2 और 3 को नोटिस जारी किए गए। और इस न्यायालय ने अभिलिखित किया कि इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी सं. 2

और 3 द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अनुलग्नक-20 के अनुसार इस मामले के परिणाम के अधीन होंगे।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में की गई अनियमितता के बारे में विद्यालय के कुछ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा दिनांक 23.10.2007 को की गई शिकायत पर, जिला शिक्षा अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा एक जांच की गई, जिन्होंने पत्र संख्या 882 दिनांक 07.06.2008 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि प्रबंध समिति के गठन और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में लिए गए निर्णयों के संबंध में शिकायत में लगाए गए आरोप सही प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ताओं को कभी जिला शिक्षा अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई जिसे याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे संचालित किया गया था। आयोजित जांच एक एकतरफा जांच थी और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है और कानून की नजर में गैर-स्थापित है।

9. नवगठित प्रबंध समिति द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को समाप्त करना बिहार राज्य गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय (माध्यमिक मानक तक) शिक्षक सेवा शर्त नियम, 2015 के नियम 13 का उल्लंघन है, जो 1976 के नियमों के समान है। संस्कृत बोर्ड द्वारा नवगठित प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 08.01.2011 को याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निरस्त करने की सिफारिश के आधार पर उनकी नियुक्ति निरस्त करने का कोई प्रमाण नहीं है।

10. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 08.01.2011 की प्रबंध समिति के प्रस्ताव के अवलोकन पर यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त/समाप्त करने का कोई एजेंडा नहीं था। प्रबंध समिति ने नियमों का उल्लंघन करते हुए और निजी प्रतिवादियों

को लाभ पहुँचाने के लिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त कर दिया जिसे संस्कृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

11. दूसरी ओर, निजी प्रतिवादियों और आधिकारिक प्रतिवादियों के विद्वान वकील का कहना है कि प्रबंध समिति के निर्णय को चुनौती देने वाला वर्तमान रिट आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि यह तय कानून है कि विद्यालय की प्रबंध समिति के निर्णय के खिलाफ कोई रिट नहीं होगी। वह इस न्यायालय के 1999 (1) पी. एल. जे. आर. 529 चंद्र नाथ ठाकुर और अन्य बनाम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और अन्य. और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2019) 7 एस. सी. सी. 513 त्रिगुण चंद ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य में दिए गए निर्णय पर निर्भर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पक्षपात का मामला है क्योंकि याचिकाकर्ता सं.1 संस्कृत बोर्ड के कार्यालय में एक सहायक का भाई है और याचिकाकर्ता सं.2/अजीत कुमार पाठक तत्कालीन प्रधानाध्यापक सर्वकांत पाठक के पुत्र हैं। यह नियुक्ति बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (सेवा शर्त) नियम, 1976 के प्रावधानों के विपरीत की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। जहाँ तक 2015 के नियम का संबंध है, इसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। 2007 में यानी नियुक्ति के वर्ष में 1976 का नियम लागू था और 1976 के नियमों के तहत की गई कार्रवाइयों को केवल 2015 के नियम द्वारा राहत दी गई है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय 1976 के नियम का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं था। रिट आवेदन योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने के योग्य है।

12. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ सुनी हैं।

13. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति, नियुक्ति की उचित प्रक्रिया अर्थात् विज्ञापन, साक्षात्कार के लिए संस्कृत बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ की नियुक्ति और चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ताओं के नाम

की सिफारिश का पालन करने के बाद की गई थी। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को संस्कृत बोर्ड द्वारा 2 जुलाई 2007 के आदेश के माध्यम से मंजूरी दी गई है। विद्यालय की नवगठित प्रबंध समिति ने डी. ई. ओ., सीतामढ़ी की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को निरस्त करने की सिफारिश की और यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि ये सभी याचिकाकर्ताओं को बाहर करने के बाद अपने पसंदीदा को नियुक्त करने के लिए स्थानीय राजनेताओं की मदद से दाता के इशारे पर किए गए हैं। निजी उत्तरदाता सं. 4 और 5 को नियुक्त किया गया।

14. मुख्य मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या वर्तमान रिट आवेदन अपने रूप में बनाए रखने योग्य है और याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं।

15. जहां तक वर्तमान रिट आवेदन को जारी रखने का संबंध है, प्रत्यर्थियों ने 1999 (1) पी. एल. जे. आर. 529 में पारित इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले और (2019) 7 एस. सी. सी. 513 में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

16. चंद्र नाथ ठाकुर मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की खंड पीठ ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) पर ध्यान देते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी वैधानिक नियम के अभाव में, जैसा कि अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत आवश्यक है, बोर्ड या अध्यक्ष विद्यालय के शिक्षक के खिलाफ प्रबंध समिति द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को मंजूरी देने के लिए किसी भी अनुशासनात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि बोर्ड का स्कूलों के मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा, सिवाय ऐसे स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त

करने और सेवामुक्ति करने की शक्ति के, जब तक कि अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत एक नियम तैयार नहीं किया जाता है।

17. खंडपीठ ने बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत हाई विद्यालय (सेवा की शर्त) नियम, 1976 पर विचार किया, जिसमें कोई वैधानिक प्रभाव नहीं था और जिसे अधिनियम की धारा 22 के तहत नहीं बनाया गया था, यह अभिनिर्धारित किया कि एक निजी रूप से प्रबंधित विद्यालय का शिक्षक, भले ही राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त हो, प्रबंध समिति द्वारा पारित सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका नहीं रख सकता है।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने त्रिगुन चंद ठाकुर मामले (उपरोक्त) के मामले में चंद्र नाथ ठाकुर मामले पर भरोसा करते हुए कहा है कि एक विद्यालय की प्रबंध समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अधीन "राज्य" नहीं है और रिट बनाए रखने योग्य नहीं है।

19. वर्तमान मामले में इस न्यायालय के समक्ष दो नियम रखे गए हैं, जिनके नाम हैं, बिहार राज्य मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय (मध्यमा मानक तक) प्रबंध समिति संविधान नियम, 2015 जो अधिनियम की धारा 22 के तहत बनाए गए हैं (जिसे इसके बाद "प्रबंध समिति नियम, 2015" के रूप में संदर्भित किया गया है)। एक अन्य नियम जो इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, वह है बिहार राज्य गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय (मध्यमा मानक तक) शिक्षक सेवा स्थिति नियम, 2015 जो अधिनियम की धारा 22 (इसके बाद "सेवा शर्त नियम, 2015" के रूप में संदर्भित) के तहत प्रदान किए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है।

20. ये दोनों नियम वैधानिक प्रभाव वाले अधीनस्थ विधान का हिस्सा हैं। प्रबंध समिति नियम, 2015 में नियम 7 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति को कुछ कार्य और शक्तियां दी गई हैं।

21. नियम 7 (x) प्रबंध समिति को सेवा शर्त नियम, 2015 के आलोक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करने, छुट्टी देने, शिक्षकों को पदोन्नति देने आदि की शक्ति प्रदान करता है।

22. सेवा शर्त नियम, 2015 प्रबंध समिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और बर्खास्तगी सहित बड़ी या छोटी सजा देने की शक्ति देता है। सेवा शर्त नियम, 2015 का नियम 13 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सजा देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

23. सेवा शर्त नियम, 2015 के तहत नियुक्त करने और प्रबंध समिति द्वारा संस्कृत विद्यालय के कर्मचारियों की सेवा से निपटने की शक्ति में कर्मचारियों को बर्खास्त/पदच्युत करने की शक्ति शामिल है।

24. प्रबंध समिति नियम, 2015 के नियम 17 और सेवा शर्त नियम, 2015 के नियम 16 को तैयार संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

17. निरसन और राहतें:-

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, प्रबंध समिति से संबंधित सभी पिछले नियम, संकल्प, आदेश और निर्देश आदि निरस्त किए जाते हैं।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, इन नियमों के प्रारंभ से पहले पिछले नियमों, प्रस्तावों, आदेशों, निर्देशों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्य इन नियमों के तहत किया गया माना जाएगा क्योंकि ये नियम उस दिन से लागू होते हैं जिस दिन ऐसी कार्रवाई की गई थी या ऐसी चीज की गई थी।

16. निरसन और राहतें ।--

(1) पिछली सभी सेवा शर्त नियम, प्रस्ताव, आदेश और निर्देश एतद्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, पिछले नियमों, प्रस्ताव, आदेश, निर्देशों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तहत की

जाएगी क्योंकि ये नियम उस तारीख को लागू हुए थे जब ऐसा किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

25. उपरोक्त नियम के नियम 17/नियम 16 को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है यह कहते हुए कि पूर्व नियमों, संकल्पों, आदेशों, निर्देशों के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य या की गई किसी भी कार्रवाई के बावजूद, इन नियमों के अंतर्गत किए गए माने जाएंगे क्योंकि ये नियम उस तिथि को लागू होते हैं जब ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी। इसका अर्थ यह है कि, भले ही यह कहा जाए कि प्रबंध समिति द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई पुराने नियमों (1976 के नियम) के तहत की गई थी, तो भी यह सेवा शर्त नियम, 2015 के तहत की गई मानी जाएगी।

26. भले ही याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति प्रबंध समिति द्वारा वर्ष 2011 में की गई हो, तो भी उसे सेवा शर्त नियम, 2015 के नियम 16 के तहत 2015 के नियम के तहत किया गया माना जाएगा।

27. प्रबंध समिति नियम, 2015 प्रबंध समिति को शिक्षकों की सेवा की स्थिति के संबंध में कार्य सहित शक्तियां और कार्य प्रदान करता है। यदि प्रबंध समिति द्वारा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस तथ्य के आलोक में हस्तक्षेप कर सकता है कि 2015 के नियम वैधानिक नियम हैं। 2015 के नियमों के तहत कुछ कार्यों और शक्तियों के साथ बनाई गई प्रबंध समिति, मेरी राय में, रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन है यदि प्रबंध समिति के विरुद्ध नियमों के किसी उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है।

28. इस न्यायालय की खंड पीठ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में 1976 के नियम पर विचार किया जा रहा था, जिसका कोई वैधानिक प्रभाव नहीं था, लेकिन वर्तमान मामले में विचाराधीन नियम अधिनियम की धारा 22 के तहत बनाए गए वैधानिक नियम हैं।

29. तदनुसार, मेरी राय में, रिट आवेदन बनाए रखने योग्य है।

30. याचिकाकर्ताओं की बर्खास्तगी की वैधता के बारे में मुद्दा मुख्य रूप से इस आधार पर है कि इस संबंध में नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं, इसकी जांच अब दूसरे मुद्दे के रूप में की जा रही है।

31. याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को 2011 में समाप्त कर दिया गया था। 1976 के नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप शिक्षकों को हटाने से पहले कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए निर्धारित करते हैं। 1976 के नियमों के नियम 22 से 28 में प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

32. याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को जिला शिक्षा अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा की गई जांच के आधार पर समाप्त कर दिया गया था, जिन्होंने पत्र संख्या 882 दिनांक 07.06.2008 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ताओं को कारण-बताओ के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यह जांच याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे की गई एक *एकतरफा* जांच थी।

33. अधिनियम की धारा 22 के तहत बनाए गए नियम वैधानिक नियम हैं जो शिक्षकों की सेवा शर्तों से निपटने के दौरान प्रबंध समिति पर कुछ दायित्व डालते हैं।

34. सेवा शर्त नियम, 2015 का नियम 13 1976 के नियमों के नियम 22 से 28 के *समान* है और प्रबंध समिति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सहित कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने का कर्तव्य सौंपता है।

35. ऊपर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 2015 के नियमों को वैधानिक प्रभाव के साथ पूर्वव्यापीता दी गई है। तदनुसार, 1976 के नियमों और 2015 के नियमों में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करने से समाप्ति का आदेश अमान्य हो जाता है।

36. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। नतीजतन, निजी उत्तरदाताओं की नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया जाता है।

37. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को बर्खास्तगी की तारीख से बहाली की तारीख तक 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ सहायक शिक्षक के अपने-अपने पदों पर तुरंत बहाल करें। यदि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में अपनी बर्खास्तगी से पहले काम किया है, तो उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान उनके काम करने के सत्यापन/प्रमाण के बाद किया जाएगा।

38. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, आवेदन को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी गई है।

39. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(श्री अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।